(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज0)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2024

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2024/166

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां
(प्रार्थी)

बनाम

श्री कृष्णचन्द गुप्ता (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील अटरू जिला बारां
(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार अभिभाषक (प्रार्थी)
2– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.01.2025

प्रकरण न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से बाद निर्णय प्राप्त होने पर इस न्यायालय मे पेश हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 2020/00047 पर दिनांक 06.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 अपास्त किया जाकर, प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि 06 माह में जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बारां के पत्रांकःजिशिअ/मु.प्रा.शि./एमडीएम/बारां/2025/980 दि. 09.01.2025 से जवाब भिजवाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार प्रार्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कहा गया कि प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी कृष्णचन्द गुप्ता (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील अटरू जिला बारां पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7437 किलोग्राम गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 53622/– रूपये वसूल किये जाने योग्य है।

उक्त राशि अप्रार्थी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बारां के कार्यालय में जमा करवा दी गई है। उक्त जमा राशि 53,622 रूपये राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम विशेष जांच ऑडिट पैरा संख्या 5 (39) के अनुसार चालान संख्या 97995681 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा सरकारी मद 8443–00–106–00–00–व्यक्तिगत जमा में जमा करवा दी गई है जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बारां द्वारा पत्रांक:जिशिअ/मु.प्रा.शि./एमडीएम/बारां/2025/980 दि. 09.01.2025 से इस न्यायालय को दी गई है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थी कृष्णचन्द गुप्ता (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील अटरू जिला बारां पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7437 किलोग्राम गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 53622/– रूपये वसूल किये जाने का ऑडिट पैरा बनाया गया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त ऑडिट रिकवरी राशि 53,622/– रूपये डी.डी. संख्या 104331 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा जरिये ड्राफ्ट जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बारां में जमा करवा दी गई है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी कृष्णचन्द गुप्ता (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील अटरू जिला बारां पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7437 किलोग्राम गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 53622/– रूपये वसूल किये जाने का ऑडिट पैरा बनाया गया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त ऑडिट रिकवरी राशि 53,622/– रूपये डी.डी. संख्या 104331 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा जरिये ड्राफ्ट जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बारां में जमा करवा दी गई है एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बारां द्वारा चालान संख्या 97995681 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा सरकारी मद 8443–00–106–00–00–व्यक्तिगत जमा में जमा करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी राज. सरकार जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा इस न्यायालय में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही बंद की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.01.2024** से सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:34 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां